न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित– हरवीर सिंह.....एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2824 सन 2023

CNR NO: UPFD010068002023

रामू उर्फ राममोहन उर्फ रामकुमार, पुत्र शंकरलाल, निवासी आनन्द नगर, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद । .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०सरकार .....विपक्षी।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रामू उर्फ राममोहन उर्फ रामकुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद, मु०अ०सं० 437/2023, अन्तर्गत धारा–306, भा०द०सं० के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा हरिओम ने थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद में इस आशय की तहरीर दी कि उसकी पुत्री गुंजन की शादी दिनांक 15–02–2015 को रामू उर्फ राममोहन उर्फ रामकुमार के साथ हुयी थी। उसने शादी में करीब चार लाख रूपये नगद तथा करीब 06 लाख रूपये कैस व आभूषण व घरेलू सामान दिया था। शादी के बाद जब उसकी पुत्री घर पर आयी तो बताया कि ससुराल वाले अभी कार और मांग रहे है। वह ससुराल नहीं जायेगी। उसने काफी पंचायते व मिन्नतें की कि वह गरीब आदमी है, उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया है अब और खर्चा नहीं कर सकता। उसी दिन से उसकी पुत्री को उसका पति तथा सास कुसमा देवी व ससुर शंकरलाल, जेठ सुनी, हेमन्त देवर रामविमल उर्फ आर्यन, झब्बू उर्फ रितिक जेठानी राजकुमारी, अर्चना, ननद नीलम मारपीट करके व गाली गलौज करके हर तरह से प्रताड़ित करने लगे, मजबूर होकर 2021 में पुत्री के पति रामकुमार व ससुर शंकरलाल ने लिखित आश्वासन दिया कि परेशान नहीं करेंगे। मारपीट नहीं करेंगे और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसकी पुत्री अपनी व अपने परिवार की इज्जत के कारण उपरोक्त मुल्जिमानों के द्वारा किये गये अत्याचारों को सहन करती रही। जब कभी वह अपनी पुत्री से कुशलता पूछते तो वह फोन पर रोकर कहती थी कि उसका जीवन नष्ट हो गया है। वह इतनी परेशान हो गयी है कि जीने की चाहत नहीं है। उसकी पुत्री की दो बेटियां है जिसका नाम राशि व मिश्टी है। दिनांक 12–06–2023 को मोहल्ला आनन्द नगर से किसी व्यक्ति ने फोन करके बताया कि आपकीर पुत्री को मार दिया है और घरवाले सब भाग गये है। सूचना पर वह अपने परिवार के साथ आया तो उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली। उसके ससुराल वाले वहां पर

नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री को काफी परेशान किया गया है।तब उसने मजबूदी में फांसी लगायी है। उसकी पुत्री के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। अतः पुत्री के शव के क्रियाकर्म में व्यस्त होने के कारण मुकदमा लिखाने आया है। वादी की उक्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाने में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य 09 सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया, उसे प्रस्तुत प्रकरण झूठा फँसाया है। वह निर्दोष है। अभियोजन की कहानी झूंठी एवं मनगढ़न्त है तथा गलत तथ्यों पर आधारित है। मुकदमा उपरोक्त की घटना अज्ञात दिनांक व समय की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14–06–2023 की दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ना तो कभी अतिरिक्त दहेज की मॉग की है न हीं उसका ऐसा कोई उत्पीड़न किया है जिससे वह आत्महत्या कर ले। अभियोजन की कहानी के अनुसार भी उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या की है। प्रार्थी की शादी मृतका के साथ दिनांक 15–02–2015 को हुयी थी। शादी के बाद उसके दो पुत्रियॉ पैदा हुयी, पुत्र पैदा नहीं हो रहा था, इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इसी बीच वह मायके जाने की जिद करने लगी। प्रार्थी ने कहा कि अभी उसके पास समय नहीं है, दो दिन बाद मायके चलेंगे, इसी से आहत होकर उसने स्वंय फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14–06–2023 से जिला कारागार फिरोजाबाद में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कड़ा विरोध किया गया तथा जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध में वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आपत्ति/प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगणों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री गुंजन से शादी के बाद कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप है, जिससे परेशान होकर वादी मुकदमा की पुत्री गुंजन द्वारा आत्महत्या कर ली गयी, जो कि दुष्प्रेरण से सम्बन्धित अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी पुष्टिकारक साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने से दम घुटने के कारण हुयी है। उपलब्ध केस डायरी में संलग्न पंचायतनामा में गवाहों ने मृतका की मृत्यु गले में लगी चोट के कारण होना बताया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को यदि जमानत पर

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2824/2023

मुक्त किया गया तो अभियोजन साक्षियों को डराये धमकाये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं प्रार्थी/अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रामू उर्फ राममोहन उर्फ रामकुमार का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 25–08–2023

(हरवीर सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।